भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. **1245**
शनिवार, 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देना

1245. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवालः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाए गए हैं और इसके क्या परिणाम रहे;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पर्यटक सलाहकार परिषद (एनटीएसी) का गठन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परिषद् की संरचना क्या है;

(घ) उक्त परिषद के विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(ङ) भारत को विश्व में पर्यटक की दृष्टि से आकर्षक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं**?**

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क): पर्यटन मंत्रालय अपने विभिन्न पर्यटन उत्पादों सहित एक समग्र गंतव्य के रूप में भारत का संवर्धन करता है । आतिथ्य सहित घरेलू पर्यटन संवर्धन और प्रचार (डीपीएच) और विदेश संवर्धन और विपणन विकास सहायता (ओपीएमडी) योजनाओं सहित विदेशी संवर्धन और प्रचार के तहत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बिहार सहित भारत के विभिन्न पर्यटन उत्पादों और गंतव्यों के संवर्धन हेतु गतिविधियां आयोजित की जाती हैं ।

बिहार में बोधगया एक महत्वपूर्ण बौद्ध विरासत स्थल है । पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार हर दूसरे वर्ष एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध कॉन्क्लेव का आयोजन करता है । इस कॉन्क्लेव में भागीदारी करने वालों में विदेशों के प्रतिष्ठित बौद्ध विद्वान, ओपिनियन मेकर, टूर ऑपरेटर तथा मीडिया की प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल हैं ।

पर्यटन मंत्रालय ने भारत के बौद्ध विरासत और बोधगया सहित बौद्ध स्थलों के संवर्धन के लिए मई 2018 में यांगून (म्यांमार), हो ची मिन्ह सिटी (वियतनाम), नोम पेन्ह (कंबोडिया) और बैंकॉक (थाईलैंड) में रोड शो के आयोजन किए हैं।

वर्ष 2019 में पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, अमेरिका, आस्ट्रेलिया तथा यूरोप में आयोजित विभिन्न रोड शो के माध्यम से बौद्ध विरासत स्थलों का संवर्धन किया गया ।

पर्यटन मंत्रालय ने देश में बौद्ध स्थलों पर एक लघु फिल्म का निर्माण किया है और महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों पर समर्पित एक वेबसाइट अर्थात् **indiathelandofbuddha.in** आरम्भ की है । वेबसाइट बोधगया को भी प्रदर्शित करता है ।

क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान-3 के अंतर्गत, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 46 पर्यटन मार्गों को शामिल किया गया है । **इसमें बेहतर कनेक्टिविटी के लिए गया** (बोधगया) **शामिल है** । गया पहले से ही महत्वपूर्ण बौद्ध स्रोत बाजारों जैसे कि थाईलैंड, श्रीलंका, भूटान, आदि से **जुड़ा हुआ** हैं ।

(ख) से (घ): राष्ट्रीय पर्यटन सलाहकार परिषद (एनटीएसी) का गठन तीन साल के कार्यकाल के साथ 27 अक्टूबर 2016 को किया गया था । सचिव (पर्यटन) परिषद के उपाध्यक्ष हैं । परिषद के सदस्यों और शर्तों का विवरण अनुबंध में संलग्न है ।

(ड़): पर्यटन मंत्रालय ने अभियानों को अगले स्तर पर ले जाने हेतु सितंबर 2017 में 'अतुल्य भारत 2.0' अभियान शुरू किया था, जो विशिष्ट प्रचार योजनाओं और सामग्री निर्माण के लिए दुनिया भर में किए गए जेनेरिक प्रचारों की एक पारी को चिह्नित करता है । अभियान डिजिटल और सोशल मीडिया और बिहार और पर्यटन उत्पादों सहित स्थलों के प्रचार पर केंद्रित है ।

*****

अनुबंध

बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में दिनांक 19.09.2020 के लोक सभा लिखित प्रश्न सं. **1245** के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में विवरण

भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

सी-1, हटमेंट्स, डलहौजी रोड

नई दिल्ली - 110011

सं. 14(1)/2**013-**एमआरडी 27 अक्तूबर, 2016

<u>आदेश</u>

माननीय पर्यटन मंत्री के अनुमोदन से निम्नलिखित संरचना वाली 'राष्ट्रीय पर्यटन परामर्शदात्री परिषद' का गठन करने का निश्चित किया गया है ।

क. अध्यक्ष : पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

ख. उपाध्यक्ष : सचिव (पर्यटन), भारत सरकार

ग. सदस्य :

I. भारत सरकार के मंत्रालय :

1. सचिव, गृह (या उनके प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे के न हों) ।
2. सचिव, वित्त (या उनके प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे के न हों) ।
3. सचिव, विदेश (या उनके प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे के न हों) ।
4. सचिव, संस्कृति (या उनके प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे के न हों) ।
5. सचिव, नागरिक उड्डयन (या उनके प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे के न हों) ।
6. सचिव, शहरी विकास (या उनके प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे के न हों) ।
7. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग (या उनके प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे के न हों)।
8. सचिव, पोत परिवहन (या उनके प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे के न हों) ।
9. सचिव, पेयजल और स्वच्छता (या उनके प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे के न हों)
10. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड
11. प्रमुख सलाहकार (पर्यटन), नीति आयोग
12. अपर सदस्य (पर्यटन और खानपान), रेलवे बोर्ड ।

II. यात्रा और पर्यटन प्रबंधन आदि के क्षेत्र के विशेषज्ञ जो व्यक्तिगत रूप से सदस्य हैं:

1.श्री सुभाष गोयल, पूर्व अध्यक्ष, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स
2.श्री नकुल आनंद, कार्यकारी निदेशक, आईटीसी लिमिटेड,
3.श्री विवेक नायर, सीएमडी, होटल लीलावेंचर लिमिटेड,
4.श्री ज्योत्स्ना सूरी, भूतपूर्व अध्यक्ष फिक्की/सीएमडी, भारत होटल
5.श्री करन एस. आनंद, संबंध और आपूर्तिकर्ता प्रबंधन के प्रमुख, कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड,
6.श्री अमिताभ सिन्हा, आईबीएन 7
7.डॉ. नरेन्द्र गुप्ता, सत्या मेडिकल सेंटर, ए-98/ए, सेक्टर - 34, नोएडा 201301
8.श्री प्रदीप नारायण सिंह, एमडी, होटल प्रदीप, सी-27/111 सी, जगत गंज, वाराणसी - 221002
9.श्री ज्ञान सिंह राठौर, सलाहकार बोर्ड सदस्य, वॉकहार्ट फाउंडेशन, मुंबई
10. सुश्री तनुजा पांडे, एमएफ-21, एल्डेको मैंशनियोज, सेक्टर-48, सोहना रोड, गुड़गांव - 122018
11. सुश्री अलका पारीक, ए-205, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली - 110024
12. श्री आलोक वत्स, सी-32, सेक्टर 33, नोएडा - 201301

III. पदेन अधिकारी सदस्य

1. सीएमडी, आईटीडीसी
2. अध्यक्ष, आईएटीओ
3. अध्यक्ष, एफएआईटीएच
4. अध्यक्ष, एफआईए
5. अध्यक्ष, एफएच एवं आरए
6. अध्यक्ष, टीएएआई

घ. सदस्य सचिव : एनटीएसी के प्रभारी जो संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी हों

2. यह परिषद प्रबुद्ध मंडल के रूप में कार्य करेगी सरकार को पर्यटन से संबंधित विभिन्न नीतिगत मामलों पर सलाह देगी ।

3. परिषद का कार्यकाल गठन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए होगा और वह आवश्यकतानुसार बैठक कर सकती है ।

4. परिषद आवश्यक होने पर अन्य आधिकारिक सदस्यों का सह-चयन कर सकती है ।

5. व्यक्तिगत रूप से सदस्य विशेषज्ञों के अधिकार:

i. व्यक्तिगत रूप से सदस्य विशेषज्ञों के लिए कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा ।

ii. एनटीएसी की बैठकों के लिए व्यक्तिगत रूप से सदस्य विशेषज्ञों को भारत सरकार के 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के अनुसार लेवल 13 के श्रेणी 'क' अधिकारी के बराबर (6ठें वेतन आयोग के अनुसार 8700/- रु. ग्रेड वेतन) टीए/डीए तथा आवास प्रभार देय होगा । इसकी प्रतिपूर्ति उनके विशिष्ट अनुरोध पर यात्रा और आवास का वैद्य प्रमाणपत्र दर्शाने की शर्त पर की जाएगी ।

iii. बाहर के सदस्यों हेतु उड़ानों की उपलब्धता के अधीन अधिकतम 2 रातों के लिए आवास प्रभार और 2 दिनों के लिए डीए देय होगा ।

iv. विशिष्ट अनुरोध पर मंत्रालय द्वारा केवल आईटीडीसी होटलों में पात्रता राशि के प्रभार वाले कमरों की उपलब्धता के अधीन ठहरने की व्यवस्था की जा सकती है । उपलब्धता की शर्त पर वाहन प्रदान किए जा सकते हैं अथवा उनकी पात्रता के अनुसार किराया प्रदान किया जाएगा ।

v. व्यक्तिगत रूप से सदस्य विशेषज्ञ पहचान पत्र, रेड बीकन कार आदि जैसे विशेषाधिकारों के पात्र नहीं होंगे ।

(श्याम सुन्दर वर्मा)
भारत सरकार के अवर सचिव

1. राष्ट्रीय पर्यटन परामर्शदात्री परिषद के सभी सदस्य
2. संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ ।
3. पर्यटन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव
4. सचिव (पर्यटन) के निजी सचिव/अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (पर्यटन) के निजी सचिव/ अपर महानिदेशक (एमआर) के निजी सचिव/संयुक्त सचिव (पर्यटन) के निजी सचिव/अपर महानिदेशक (पर्यटन) के निजी सचिव/आर्थिक सलाहकार (पर्यटन) के निजी सचिव
5. निदेशक (वित्त), पर्यटन मंत्रालय ।
6. वेतन और लेखा कार्यालय, पर्यटन मंत्रालय ।

(श्याम सुन्दर वर्मा)
भारत सरकार के अवर सचिव